नंबर व तारीख अहकाम जो इस की तामील में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्री रजत यादव (आई.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 92/2023

1. रामकिशोरी पत्नि स्व० श्री रामनारायण उम्र करीबन 83 वर्ष जाति मेहरा निवासी चैनपुरिया के पास, मदनगंज–किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
2. अशोक मेहरा पुत्र स्व० श्री रामनारायण उम्र करीबन 48 वर्ष जाति मेहरा निवासी चैनपुरिया के पास, मदनगंज–किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
3. मंगलचन्द मेहरा पुत्र स्व० श्री रामनारायण उम्र करीबन 37 वर्ष जाति मेहरा निवासी चैनपुरिया के पास, मदनगंज–किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
4. सन्तोष मेहरा पुत्री स्व० श्री रामनारायण पत्नि जगदीश उम्र करीबन 51 वर्ष जाति मेहरा निवासी चैनपुरिया के पास, मदनगंज–किशनगढ़ जिला अजमेर ,राजस्थान।
5. मन्जू देवी मेहरा पुत्री स्व० श्री रामनारायण पत्नि नन्दकिशोर उम्र करीबन 49 वर्ष जाति मेहरा निवासी न्यु आई टी कॉलोनी, आजाद नगर मदनगंज–किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
6. रेखा कुमारी मेहरा पुत्री स्व० श्री रामनारायण पत्नि नन्दकिशोर उम्र करीबन 42 वर्ष जाति मेहरा निवासी किला रोड, जसवंत थडे की घाटी, बत्ता सागर, जोधपुर तहसील जोधुपर जिला जोधपुर राजस्थान।
7. माया पुत्री स्व० श्री रामनारायण पत्नि मदनलाल उम्र करीबन 39 वर्ष जाति मेहरा निवासी साडीयों का टीबा, मेहरों की नन्दी, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर राजस्थान ।
8. ममता पुत्री स्व० श्री रामनारायण पत्नि मुकेश उम्र करीबन 35 वर्ष जाति मेहरा निवासी पुरानी मील के पास जयपुर रोड, मदनगंज–किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
9. हेमा पुत्री स्व० श्री रामनारायण पत्नि हर्षवद्धन उम्र करीबन 32 वर्ष फायसागर रोड, गली नम्बर 2. अजमेर जिला अजमेर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1.शैतान पुत्र सुवालाल जाति मेहरा निवासी चैनपुरिया, मदनगंज–किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
2. शंकर पुत्र सुवालाल जाति मेहरा निवासी चैनपुरिया, मदनगंज–किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
3. गीता देवी पुत्री सुवालाल जाति मेहरा निवासी चैनपुरिया, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
4. बैंक ऑफ महाराष्ट्र जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा मदनगंज तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
5. उपपंजीयक, किशनगढ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री सुण्डाराम जाट
वकील अप्रार्थी श्री प्रतीक मेहता एवं गणेश प्रजापति

दिनांक 26.08.2025

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

. में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुण्डाराम जाट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने ानीय न्यायालय में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 955 का पेश किया है जिसमें प्रार्थीयागण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है परन्तु वाद के निस्तारण में समय लगना स्वभाविक है इसलिए वाद के साथ यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पूर्वाधिकारीयों की संयुक्त पैतृक, कब्जे काश्त उपयोग–उपभोग की आराजीयात ग्राम किशनगढ़ बी (मदनगंज), पटवार हल्का मदनगंज तहसील किशनगढ़ के वर्तमान खसरा नम्बर 1419 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, किस्म गै०मु०चाह, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 से 3 खातेदार अधिकार अभिलेख में दर्ज है, एवं खसरा नम्बर 1420 रकबा 2.2743 हैक्टेयर भूमि है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 अधिकार अभिलेख में खातेदार दर्ज है। शेष खातेदार से अनुतोष नहीं चाहा गया है इस कारण पक्षकार नहीं बनाया गया है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है जो प्रार्थीगण के दादा घासी उर्फ घीसा उर्फ घीसा जी मेहरा से अपने पुत्रगण रामनारायण, काना, लक्ष्मीनारायण, सुवालाल को प्राप्त हुई जो काना के नाऔलाद फोत होने से सुवालाल के वारीस व लक्ष्मीनारायण व रामनारायण के नामान्तकरण दर्ज हो गया था एवं लक्ष्मीनारायण द्वारा अपना हिस्सा सुवालाल को बेचान कर दिया गया था जिसके पश्चात् रामनारायण का हिस्सा 1/3 दर्ज था। सुवालाल अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पिता के फौत होने के पश्चात् सुवालाल के वारीसों के पक्ष में नामान्तकरण तस्दीक हो गया था जो शेष पुत्रीयों द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में हकत्याग होने से वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के नाम हिस्सा दर्ज है। उपरोक्त आराजीयात में रामनारायण पुत्र घासी उर्फ घीसा उर्फ घीसा अर्थात प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी/ पिता/पति का 1/3 हिस्सा अधिकार अभिलेख में दर्ज था जो रामनारायण पुत्र घासी उर्फ घीसा उर्फ घीसा द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 के पक्ष में रिलीज (हकत्याग) कर दिया गया था जो जरिये नामांन्तकरण संख्या 917 दिनांक 28.08.2003 तस्दीक किया गया है जो अवैध, शुन्य व प्रार्थीगण के हितों पर निष्प्रभावी है। रामनारायण पुत्र घासी उर्फ घीसा द्वारा अवैध रूप से सम्पूर्ण हिस्से का हकत्याग नहीं कर सकता है। relinquish his right to other co–kharedar by relinquishment deed' अर्थात एक सहखातेदार उसके अधिकार को दुसरे सहखातेदार के हक में हक त्याग विलेख द्वारा त्याग नहीं कर सकता है। इस प्रकार उपरोक्त आराजीयात में रामनारायण पुत्र घासी उर्फ घीसा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में 1/3 हिस्से का हकत्याग किया गया उक्त 1/3 हिस्से में से प्रत्येक प्रार्थीगण को 1/10–1/10 हिस्से की खातेदारी उद्घोषणा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थीगण का उपरोक्त आराजीयात में हिस्सा निहित है 'एवं प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी / पिता/पति रामनारायण पुत्र घासी उर्फ घीसा द्वारा बिना प्रतिफल के अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में हकत्यागनामा / रिलिज निष्पादित किया गया है कि जो प्रार्थीगण के अधिकार सृजित है एवं एक सहखातेदार के रिलिज नहीं हो सकती है एवं सयुक्त परिवार की सम्पति है जिसमें सभी संयुक्त खातेदारों के पक्ष में निष्पादन होना चाहिए इस प्रकार रिलिज (हकत्यागनामा) निष्पादन किया गया है कि वो विधि के विपरित होने से प्रार्थीगण के अधिकारों पर बेअसर है इस विधिक सिद्वान्त पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि 'Co–tenant cannot release her/his share infavour of one co–tenant only' इस प्रकार कोई सहखातेदार अपना हिस्सा किसी विशेष खातेदार या एक खातेदार को रिलीज नहीं कर सकता है एवं उपरोक्त आराजीयात पैतृक कृषि भूमि है जो प्रार्थीगण का जन्म से हक, हिस्सा, अधिकार है, अर्थात उपरोक्त आराजीयात का सम्पूर्ण हिस्सा रिलिज करने का रामनारायण पुत्र घासी उर्फ घीसा को किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण अपने हिस्से पर काबिज काश्त है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अवैध रूप से किये गये रिलीज का नामान्तकरण खुलवा कर अप्रार्थी संख्या 3 के साथ मिलकर अवैधानिक रूप से प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करने पर आमादा है इस कारण अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीगण के हक, हिस्से में व्यवधान कारीत नहीं करे, प्रार्थीगण के कृषकिय कार्य में मदाखलत उत्पन्न नहीं करने व प्रार्थीगण को मौके से बेदखल नहीं करने एवं उपरोक्त भूमि को अन्य

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

व्यक्ति को बैचान, हस्तान्तरण, रहन नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा की से पाबन्द किया आवश्यक है जिससे प्रार्थीगण के साम्पतिक अधिकार सुरक्षित रह सकें। प्रार्थीगण के धिकारी रामनारायण पुत्र घासी उर्फ धीसा व अप्रार्थी संख्या 2 के मध्य एक सहमती इकरारनामा नांक 01.08.2002 को निष्पादन किया गया है जिसमें अधिवक्ता श्री गणेश जी प्रजापत द्वारा उक्त इकरारनामा को नोटेरी पब्लिक श्री रमेशचन्द जी शर्मा के समक्ष पहचान की गयी है एवं उक्त तहरीर दो गवाहो के समक्ष नोटेरी के रजिस्टर्ड क्रंमाक संख्या 690 दिनांक 01.08.2002 को दोपहर 2:30 बजे दस्तावेज का निष्पादन किया गया है उस इकरारनामा में स्वयं अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि काना वल्द घीसा की भूमि सहवन से सुवालाल वल्द घीसा के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो गयी है मौके पर कब्जा प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी रामनारायण का ही कब्जा है एवं उक्त हिस्से को प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादन करने बाबत् उल्लेख किया गया है निष्पादनकर्तागण एक ही परिवार के सदस्य है एवं संयुक्त सम्पति है जो बतौर दस्तावेज की प्रकृति पारिवारिक सहमती पत्र है इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा निष्पादित तहरीर इकरारनामा दिनांक 01.08.2002 अन्तिम दस्तावेज है एवं उक्त दस्तावेज में समझौता शब्द का अंकन किया गया है इस कारण इस दस्तावेज के विपरित कथन अप्रार्थी 01 संख्या 2 द्वारा किया जाना विधि के तहत विधि विरूद्व माना जायेगा, एवं अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध इस दस्तावेज के परिप्रेक्ष्य में **ESTOPIE** (विबन्धन) का सिद्वान्त लागू होता है। मौके पर आज भी प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रथम दृष्ट्या, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्तनीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है प्रार्थीगण का उपरोक्ता आराजीयात में पैतृक हक, हिस्सा, अधिकार, स्वत्व है गलत तरीके से अवैध रिलिज (हकत्याग) करने से अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को अवैध रूप से मौके से बेदखल करने पर आमादा है एवं उपरोक्त भूमि अन्य दिगर व्यक्ति को बैचान करने पर उतारू है। अप्रार्थीगण अवैध रूप से अपने कृत्य में कामयाब हो जायेगे तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारीत होगी जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार से किया जाना सम्भव नहीं होगा। अप्रार्थी संख्या 4 के भूमि रहन होने से पक्षकार कायम किया गया है। अन्य सहखातेदारों (कालूसिंह, गोविन्द सिंह व सरदार चौधरी) से किसी भी प्रकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है चूंकि उक्त खातेदारों द्वारा लक्ष्मीनारायण पुत्र घासी उर्फ घीसा का हिस्सा खरीद किया गया है। इस कारण वाद में पक्षकार कायम नहीं किया गया है। श्रीमान से प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पूर्वाधिकारीयों की संयुक्त पैतृक, कब्जे–काश्त उपयोग–उपभोग की आराजीयात ग्राम किशनगढ़ बी (मदनगंज), पटवार हल्का मदनगंज तहसील किशनगढ़ के वर्तमान खसरा नम्बर 1419 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, किस्म गै०मु०चाह, एवं खसरा नम्बर 1420 रकबा 2.2743 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे, उपयोग–उपभोग व कृषकिय कार्य में मदाखलत, व्यवधान कारित नहीं करने एवं अन्य दिगर व्यक्ति को बैचान, हस्तान्तरण, रहन नहीं करने हेतु अर्थात ताफैसला मूल वाद मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द फरमाई जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.06.2023 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र में दिनांक 23.10.2024 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। दिनांक 04.12.2024 तक भी अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 02,03, 04 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 04.12.2024 को अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की मंशा से प्रेरित होकर मनगढन्त व झूठे तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय में एक वाद पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है तथा प्रार्थना पत्र के शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण के पूर्वजों की कोई भी पैतृक खातेदारी भूमि वाकै ग्राम मदनगंज पटवार हल्का मदनगंज तहसील किशनगढ के खसरा नम्बर 1419 रकबा 0.0243 हैक्टेयर गै.मु. चाह खसरा नम्बर 1420 रकबा 2.2743, हैक्टेयर भूमि स्थित नहीं है बल्कि उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व कालूसिंह जामड़, सुरेन्द्रसिंह महणोत आदि खातेदारों के नाम सह खातेदारी में दर्ज है तथा उक्त भूमि कभी भी प्रार्थीगण के पूर्वजों की नहीं रही है बल्कि प्रार्थीगण के पिता द्वारा रामनारायण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि को दिनांक 21.07.

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

को जरिये पंजिकृत प्रलेख के शंकर व शैतान को हस्तान्तरित कर दिया था जिसका राजस्व में नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज करवाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 मौके पर काबिज काश्त आ रहे है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है इसलिये ा संख्या 2 के कथन पैतृक भूमि होने के सम्बन्ध में अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 3 के जवाब में लेख है कि पेरा संख्या 2 में वर्णित खातेदारी भूमि रामनारायण पुत्र घासी मेहरा की स्वयं की निजी भूमि थी। उक्त भूमि उसको विरासत में प्राप्त नहीं हुई है रामनारायण, काना, लक्ष्मीनारायण, सुवालाल सभी आपस में सगे भाई जरूर थे लेकिन उक्त भूमि इनको विरासत में प्राप्त नहीं हुई है। उक्त भूमि रामनारायण पुत्र घासी मेहरा को कौनसे नामान्तकरण के जरिये व किस दिनांक को व कौनसे सन में विरासत में प्राप्त हुई है, प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है मात्र 1/3 हिस्सा दर्ज होने से उक्त भूमि विरासत की नहीं मानी जा सकती है इसलिये पेरा संख्या 3 के कथन गलत हेने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 4 के जवाब में लेख है कि सुवालाल की विरासत का प्रार्थीगण से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा सुवालाल की विरासत अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है तथा इसमें प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 5 के जवाब में लेख है कि रामनारायण के पिता का राजस्व रिकार्ड में वास्तविक नाम क्या है, कौनसी जमाबन्दी में क्या दर्ज है, अंकित नहीं किया है घासी है या घीसा है स्पष्ट नहीं किया है तथा दोनो शब्द अलग अलग नाम के है इससे सिद्ध है कि रामनारायण के पिता का नाम क्या है प्रार्थीगण ने नहीं बताया है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम नामान्तकरण संख्या 917 दिनांक 28.08.2003 राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा 20–21 वर्षों तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की, स्पष्ट नहीं किया है। प्रार्थीगण की दुर्भावना सिद्ध होती है प्रार्थीगण द्वारा उक्त हकत्याग प्रलेख को सिविल न्यायालय में निरस्त करवाने हेतु कोई कार्यवाही क्यों नहीं की, स्पष्ट नहीं किया है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है रामनारायण के नाम राजस्व रेकार्ड में जो भूमि दर्ज थी उसका हस्तान्तरण रामनारायण ने अपने जीवनकाल में ही कर दिया था। यदि प्रार्थीगण का हिस्सा होता तो इतने लम्बे समय तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। हकत्त्याग एक पंजीकृत विलेख है इसके आधार पर राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थीगण का नाम दर्ज किया गया है जिसकी प्रार्थीगण को शुरू से ही जानकारी रही है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की भूमि को विवादित बनाने के आशय से उक्त झूठे आधारों पर प्रार्थनापत्र पेंश किया है जो चलने योग्य कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्रार्थीगण द्वारा मनगढन्त हिस्से अंकित किये गये है जबकि इनका कोई भी हिस्सा नहीं बनता है इसलिये पेरा संख्या 4 के कथन आधारहीन व गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 6 के जवाब में लेख है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्यां 1 व 2 के पक्ष में रामनारायण द्वारा निष्पादित किये गये पंजिकृत हकत्याग को विधि के विपरीत बताया है। ऐसे दस्तावेज का निर्णय सिविल न्यायालय ही कर सकता है क्योंकि हकत्याग का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो जाने से उक्त दस्तावेज को विधि विरूद्ध नहीं माना जा सकता है। प्रार्थीगण का रामनारायण की खातेदारी भूमि में जन्म से कोई हक नहीं बनता है। जो हक व अधिकार रामनारायण के निहित थे उनको रामनारायण ने पंजिकृत विलेख के हस्तान्तरित कर दिया है इसलिये पेरा संख्या 6 के कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 7 के जवाब में लेख है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कभी भी कोई हक व हिस्सा उत्पन्न नहीं होता है। जब मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा ही नहीं है तो बेदखल करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है और यह तथ्य राजस्व रेकार्ड से स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है इसलिये पेरा संख्या 7 के कथन गलत, मनगढन्त व आधारहीन होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण के पास अपने अधिकारों को सिद्ध करने के लिये कोई भी आधार नहीं होने से सहमति इकरारनामा दिनांक 01.08.2002 के निष्पादन बाबत अंकन किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त इकरारनामा की पालना करवाने हेतु इतने लम्बे समय तक सिविल न्यायालय में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीगण के अधिकार सृजित नहीं होते है। अतः राजस्व रेकार्ड में दर्ज अप्रार्थीगण का

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

,वं मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा होने से उक्त दस्तावेज स्वतः ही निष्प्रभावी एवं शून्य वेज है। इसका कोई विधिक महत्व नहीं है। उक्त दस्तावेज के पश्चात रामनारायण द्वारा अपनी , अप्रार्थीगण के हस्तान्तरित करने से उक्त सहमति पत्र का कोई महत्व नहीं रहा है तथा इतने म्बे समय तक प्रार्थीगण की मौन स्वीकृति होना अप्रार्थीगण के हकों को स्वतः ही सिद्ध करती है तथा उक्त परिपेक्ष्य में विबन्ध का सिद्धान्त लागू नहीं होता है इसलिये पेरा संख्या 8 के कथन गलत होने से अस्वीकार है। मौके पर प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर प्रार्थीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन, अपूर्तनीय क्षति व प्रथम दृष्टया मामला तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होते है तथा अपूर्तनीय क्षति का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। जब प्रार्थीगण के पास कोई भूमि ही नहीं है तो उनको कोई भी क्षति भी नहीं होगी इसलिये पेरां संख्या 9 के कथन गलत होने से अस्वीकार है। वास्तविक स्थिति को छिपाने के लिये प्रार्थीगण द्वारा 1/12 हिस्से का विक्रय विलेख दिनांक 27.05.2005 को श्री कालूसिंह जामड़ सुरेन्द्रसिंह महणोत के पक्ष में निष्पादित किया है जो कि उक्त भूमि में सह खातेदार है उनको जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है। यदि उनको पक्षकार बनाया जाता तो अशोक के द्वारा किये गये विक्रय पत्र की जानकारी न्यायालय के सामने आ जाती। जब रामनारायण द्वारा शंकर व शैतान के पक्ष में हक त्याग किया गया तो अशोक के द्वारा इसका विरोध क्यों नहीं किया गया। इससे सिद्ध है कि उक्त भूमि में प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा वादपत्र में भी सह खातेदार आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है अतः पेरा संख्या 10 के कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 11 के कथन गलत होने से अस्वीकार है। हक त्याग को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं बनता है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के साथ खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

दिनांक 11.03.2025 को वकील प्रार्थी द्वारा जवाबुल जवाब पेश किया गया जिस पर वकील प्रार्थी द्वारा अनापत्ति व्यक्त की गई जिससे जवाबुल जवाब रिकार्ड पर लिया गया। जवाबुल जवाब में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में अंकित कथन जिस प्रकार लिखे गये है गलत होने से पूर्णतया अस्वीकार है। यह कथन जिस प्रकार लिखे गये है गलत होने से पूर्णतया अस्वीकार है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजो की भूमि नही हो बल्कि प्रार्थीगण के पिता द्वारा अपनी खातेदारी भूमि को पंजिकृत प्रलेख से हस्तान्तरित कर दिया हो। उक्त वर्णित तथ्यों को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वयं ठोस साक्ष्य से सिद्ध करें। जबकि वास्तविकता यह है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक 2 पुश्तैनी भूमि है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में विधिनुसार जन्म से हित एवं अधिकार निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में अंकित कथन जिस प्रकार लिखे गये है गलत होने से पूर्णतया अस्वीकार है। यह कथन जिस प्रकार लिखे गये है गलत होने से पूर्णतया अस्वीकार है कि पैरा संख्या 2 में वर्णित खातेदारी भूमि रामनारायण पुत्र घासी मेहरा की स्वयं की नीजि भूमि थी। यह कथन भी जिस प्रकार लिखे गये है गलत होने से पूर्णतया अस्वीकार है कि उक्त भूमि उसको विरासत में प्राप्त नही हुयी हो। उक्त वर्णित समस्त कथनों को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वयं ठोस साक्ष्य से सिद्ध करें। जबकि वास्तविकता यह है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के पिता की नीजि भूमि नहीं है बल्कि प्रार्थीगण की पैतृक पुश्तैनी भूमि है। राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी से यह पूर्णतया स्पष्ट प्रकट होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के पिता की नीजि भूमि नही है बल्कि प्रार्थीगण की पैतृक पुश्तैनी भूमि है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि मे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जन्म से ही हित एवं अधिकार निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 में अंकित कथन जिस प्रकार लिखे गये है गलत होने से पूर्णतया अस्वीकार है। यह कथन जिस प्रकार लिखे गये है गलत होने से पूर्णतया अस्वीकार है कि रामनारायण के पिता का नाम घासी या घीसा अर्थात घासी उर्फ धीसा नहीं है। इसके अलावा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

ख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब के पैरा संख्या 5 में यह कथन भी जिस प्रकार लिखे गये होने से पूर्णतया अस्वीकार है कि रामनारायण ने अपनी पुत्रियों की शादी करने के लिऐ एवं कर्जा अदा करने के लिये कोई भी राशि प्राप्त की हो। उक्त तथ्यों के अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ठोस साक्ष्य से सिद्ध करें। जबकि वास्तविकता यह है कि रामनारायण के पिता का नाम घीसा घासी है। रामनारायण के पिता का नाम घीसा उर्फ घासी होने के तथ्य राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दीयों से स्पष्ट प्रकट होते है। घीसा उर्फ घासी एक ही व्यक्ति है। इसके अलावा यहां पर यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि रामनारायण स्वयं की पुत्रियों की शादी करने हेतु तथा अपना कर्ज अदा करने हेतु अप्रार्थीगण से कभी भी कोई राशि प्राप्त नही की है। बल्कि रामनारायण स्वयं आर्थिक रूप से स्वयं सक्षम व्यक्ति था जिसने स्वयं की आय से ही स्वयं की पुत्रियों की शादी विवाह किया था। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 8 में अंकित कथन जिस प्रकार लिखे गये है गलत होने से पूर्णतया अस्वीकार है। यह कथन जिस प्रकार लिखे गये है गलत होने से पूर्णतया अस्वीकार है कि सहमति इकरारनामा दिनांक 01.08.2002 के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय में कार्यवाही नही की हो। उक्त तथ्यों को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वयं ठोस साक्ष्य से सिद्ध करे। जबकि वास्तविकता यह है कि इकरारनामा दिनांक 01.08.2002 के पेज नम्बर 1 पर अन्त में स्पष्ट रूप से यह कथन अंकित किये गये है कि "राजस्व रिकोर्ड में काना वल्द घीसा की भूमि सहवन से सुवा वल्द घीसा के नाम राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज हो चुकी है एवं काना की हिस्से की भूमि पर मौके पर प्रथम पक्षकार रामनारायण का ही कब्जा है एवं जब प्रथम पक्षकार द्वारा यह रकम द्वितीय पक्ष को लौटाई जायेगी एवं द्वितीय पक्षकार द्वारा इस भूमि का विकय विलेख प्रथम पक्ष के पक्ष में बिना किसी लेन देन के निष्पादित करवाना होगा। इसमें द्वितीय पक्ष को किसी प्रकार की कोई आपत्ति व उर्ज नही होगा। उक्त 30,000/– रूपये की राशि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को निर्धारित अवधि एक वर्ष के पश्चात् दिनांक 31.07. 2003 को पुनः भुगतान कर दिया जायेगा। एवं समझौत में वर्णित शर्तों के अनुसार वर्णित आराजी का द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के पक्ष में विकय विलेख निष्पादित करवा दिया जायेगा।" अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा जवाबुल जवाब को रिकार्ड पर लिया जावे।

दिनांक 26.08.2025 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी, वकील अप्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. 1955 पर बहस सुनी गई। प्रार्थीयागण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र वास्ते पैतृक भूमि में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हिस्सा पाने बाबत पेश किया है किन्तु प्रार्थीयागण द्वारा न्यायालय हाजा में कोई भी ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया वादअधीन भूमि पैतृक भूमि होना जाहिर हो। प्रार्थीयागण के पूर्वाधिकारी रामनारायण द्वारा उक्त भूमि जरिये पंजीयत हकत्याग प्रलेख के अप्रार्थी के पूर्वाधिकारी को हस्तान्तरित की गई है, इस तथ्य को प्रार्थीयागण द्वारा भी स्वीकार किया गया है। इकरारनामा की क्या वैधता है यह तो वाद में साक्ष्य एवं सुनवाई के द्वारा तय किया जायेगा। हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थना पत्र का धारा 212 राज.का.अधि. के तीन बिन्दुओं के अनुसार विवेचन किया गया,

प्रथम दृष्टया प्रकरणः– वादअधीन भूमि में प्रार्थीयागण वर्तमान में खातेदार नहीं है, ना ही प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय हाजा में पेश किया गया है जिससे उनका वादअधीन भूमि में प्रथम दृष्टया हक जाहिर हो। रिकार्डेड खातेदारान् का वादअधीन भूमि में राजस्व रिकार्ड के अनुसार हक हिस्सा ताईद है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है।

सुविधा का संतुलनः– वादअधीन भूमि पर प्रार्थीयागण काबिज है ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रार्थीयागण द्वारा पेश नहीं किया गया है, जबकि अप्रार्थीगण जमाबन्दी के अनुसार वादअधीन भूमि पर काबिज है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में नहीं है।

अपूरणीय क्षतिः– प्रार्थीयागण द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे सिद्ध हो कि अपूरणिय क्षति प्रार्थीगण को कारित है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दुओं को प्रार्थीयागण सिद्ध करने में असफल रहें है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अन्य बिन्दु वाद विचारण के दौरान तनकीवार, साक्ष्य एवं बयानात् से तय किये जायेंगें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

रजत यादव (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner